

(3)

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 404 / 2023-24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

श्री फगुवा मुण्डा.....आवेदक / विक्रेता

श्रीमती सविता नाग.....क्रेता
बनाम्

} प्रथम पक्ष

राज्य सरकार.....द्वितीय पक्ष

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
02.03.2024	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक श्री फगुवा मुण्डा पिता स्व० भथू मुण्डा ग्राम-जियारप्पा, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है:-</p> <p style="text-align: center;">भूमि का विवरण</p> <table border="1"><thead><tr><th>ग्राम</th><th>थाना नं०</th><th>खाता नं०</th><th>खेसरा सं०</th><th>रकबा(एकड़ में)</th></tr></thead><tbody><tr><td>जियारप्पा</td><td>227</td><td>76</td><td>1337</td><td>0.06</td></tr></tbody></table> <p>आवेदक के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक श्री फगुवा मुण्डा पिता स्व० भथू मुण्डा ग्राम-जियारप्पा, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को मकान निर्माण कार्य हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता श्रीमती सविता नाग पति प्रकश नाग ग्राम-डुमरदगा, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को विक्री करना चाहते हैं।</p> <p>आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं खतियान की छाया प्रति तथा लगान की रसीद सं० 0007845866 की छाया प्रति उनके द्वारा प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि की विक्री में किसी के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 116 दिनांक 28.02.2024 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक के पूर्वजों की खतियानी भूमि है। खतियानी रैयत का नाम मुण्डलू मुण्डा वगैरह है। आवेदिका पंजी II रैयतों में से एक के पुत्र है। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी II के भाग सं० 1 के पृष्ठ सं० 78 पर जमावंदी दर्ज है।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को मकान निर्माण</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)	जियारप्पा	227	76	1337	0.06	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)								
जियारप्पा	227	76	1337	0.06								

(4)

कार्य हेतु बिक्री करना चाहते हैं।
अंचल अधिकारी, खूँटी के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं
क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं एवं एक ही थाना के निवासी हैं। विक्रेता
एवं क्रेता दोनों की ओर से एक थाना के निवासी होने एवं अनुसूचित जनजाति के
सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 310 दिनांक 13.12.2023 के साथ अंचल
अधिकारी, खूँटी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं०- JHCST/2023/105749 दिनांक
23.03.2023 को आवासीय प्रमाण पत्र सं०- JHLRCO/2023/206776 दिनांक 23.03.2023
एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न
है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों
अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं तथा एक ही थाना के निवासी हैं। अंचल अधिकारी,
खूँटी ने आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुशंसा किया है।

अतः अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 116 दिनांक 28.02.2024 के माध्यम
से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के
आधार पर आवेदक श्री फगुवा मुण्डा पिता स्व० भथू मुण्डा ग्राम-जियारप्पा,
थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को क्रेता श्रीमती सविता नाग पति प्रकश नाग
ग्राम-डुमरदगा, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी के साथ ग्राम जियारप्पा के खाता सं० 76,
खेसरा संख्या 1337, कुल रकबा 0.06 एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर
निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार
पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।

02/03/24

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।